उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous Body of Uttarakhand Government; Registered u/s-2(F) of UGC act, 1956; Member of A/U)

रेलवे रोड हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) — 248001 (Railway Station Road, Harrawala, Dehradun (UK) 248001)

Phone : 0135–2685124, Fax : 0135–2685137

दिनाँक : 03 जुलाई, 2023

जनहित में विज्ञप्ति :–

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय या इससे सम्बद्ध समस्त निजी संस्थानों में प्रवेश की मैरिट के आधार पर ही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केन्द्रीयकृत ऑनलाईन व मॉप अप राउण्ड काउन्सिलिंग के विभिन्न चरणों के माध्यम से होता है। बिना काउन्सिलिंग व बिना NEET क्वालीफाई किये हुए प्रवेश को NCISM (भारत सरकार, आयुष शिक्षा) द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है जो एक अधिनियम के अंतर्गत है। अतः सभी अभिभावकों व अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आगे चलकर NCISM द्वारा प्रवेश व परीक्षा सम्बन्धी मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तो उन छात्रों के भविष्य के जिम्मेदार केवल अधीरता दिखाने वाले अभ्यर्थी, अभिभावक व सम्बन्धित संस्थान होगा।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं के लिए NCISM, AYUSH, Govt of India व विश्वविद्यालय की वेबसाईट– www.uau.ac.in को देख सकते हैं। प्रायः प्रत्येक वर्ष अयोग्य छात्रों का प्रवेश निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों के विपरित अपने स्तर पर ही लिया जाता है और कुछ समय व्यतीत होने पर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाता है परन्तु जब विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश को अमान्य किया जाता है तो सम्बन्धित छात्र, अभिभावक एवं संस्थान मा0 उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। कभी–कभी कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा व्यापक छात्रहित में दिये गये सहानुभूति निर्णय का अनुचित लाभ लेकर NCISM/विश्वविद्यालय के नियमों से इतर प्रवेश को भी अस्थाई स्वीकृति करवाकर अस्थाई नामांकन व परीक्षा कराने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु वह अनन्तिम निर्णय होने के कारण अभ्यर्थी का भविष्य अनिश्चितता के अधर में हो जाता है।

उपरोक्त प्रश्नगत परिस्थितियों के कारण अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय व शासन के विरूद्ध कई वाद प्रचलित हो जाते हैं। इसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता फैलाई जानी जरूरी/अतिआवश्यक है क्योंकि आगे चलकर निर्धारित प्रक्रिया के इतर प्रवेशित छात्रों/अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय होने की पूर्णतः सम्भावनायें बनी रहेगी।

अतः व्यापक छात्र–हित एवं जनहित में उक्त प्रश्नगत जानकारी का प्रचार–प्रसार करने हेतु यह विज्ञप्ति निर्गत की जा रही है।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव